

दिनांक २५-३-२०२०

14-2-23 पाषी द्वारा प्रकरण को विद्रा करने बाबत पाषी-
पर पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। परन्तु
पाषी-पर अनुसार पाषी उक्त पा० पर को चलाना
नहीं चाहते थे।

चूंकि मूल वाद को विद्रा करने की अनुमति
दी जा चुकी है। अतः पाषी का पाषी-पर खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फेराल शुमार होकर नम्बर से
कम हो

७

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगर (अजमेर)

